

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, शिवहर/शेखपुरा/खगड़िया/बेगूसराय/बक्सर/पटना।

पटना, दिनांक:- 5/12/18

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या- 26-
उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-
2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3373 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च 2019 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रु. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1.	शिवहर	01	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, शिवहर के ज्ञापांक-516 दि.-15.10.18 के आलोक में स्व0 सत्येन्द्र सिंह, आश्रित मसो0 इन्दु देवी(पत्नी) ग्राम+पो0-श्यामपुर, प्रखण्ड-डुमरी करसरी, जिला-शिवहर के भुगतान हेतु।
2	शेखपुरा	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के ज्ञापांक-482 दि.-26.11.18 के आलोक में (1) स्व0 सुरेन्द्र महतो, आश्रित सविता देवी(पत्नी) ग्राम+पो0+पंचायत-लोहाण, प्रखण्ड-चेवाड़ा, जिला-शेखपुरा (2) स्व0 मतलू बिंद, आश्रित संजोगवा देवी (पत्नी) ग्राम-गगौरा, पो0-लोहाण, पंचायत-विमान, प्रखण्ड-अरियरी, जिला-शेखपुरा के भुगतान हेतु।
3	खगड़िया	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-605 दि.-26.11.18 के आलोक में (1) स्व0 नीरज कुमार आश्रित मसो0 मंजु देवी (पत्नी), प्रियांशु कुमार (पुत्र), सुधांशु कुमार (पुत्र) डी0सी0एम0 कुमारी (पुत्री) ग्राम+पो0-पीरनगरा, वार्ड नं0-05 थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया के भुगतान हेतु।
4	बेगूसराय	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	श्रम अधीक्षक, बेगूसराय के पत्रांक-964 दिनांक- 01.11.18 के आलोक में (1) स्व0 मो0 तबारक, आश्रित सबरुम खातून (माता) ग्राम-बहदरपुर, पो0-रामपुर, थाना-मुफसिल, प्र0+जिला-बेगूसराय (2) स्व0 मो0 जुबेर, आश्रित रोकसाना खातून (पत्नी) ग्राम-बहदरपुर, पो0-रामपुर, थाना-मुफसिल, प्र0+जिला-बेगूसराय के भुगतान हेतु।
5	बक्सर	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	श्रम अधीक्षक, बक्सर के पत्रांक-363 दि.-2.11.18 के आलोक में (1)स्व0 बैजनाथ पान्डेय, आश्रित सवित्रा देवी(पत्नी) ग्राम-परसियाँ, पो0-परसियाँ, थाना-चक्की, प्रखण्ड-चक्की जिला-बक्सर के भुगतान हेतु।

11

6	पटना	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	श्रम-अधीक्षक, पटना के पत्रांक-3952 एवं 3953 दोनों दि.-17.11.18 के आलोक में (1) स्व0 शाजीद हुसैन आश्रित मो. जाकीर हुसैन (पिता) ग्राम+पो.-लई, थाना+प्रखंड-बिहटा, जिला-पटना (2) स्व0 मनोज कुमार सिंह आश्रित मो. रूबी देवी(पत्नी) ग्राम-निशियावाँ, पो.-उसमानचक, थाना+प्रखंड-मसौढ़ी, जिला-पटना के भुगतान हेतु।
	कुल	09		900000/-	

कुल आवंटित राशि ₹ 9,00,000/- (₹ नौ लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत नियमानुसार जाँच पड़ताल कर उन्हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि. दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
7. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,
6/5/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/18 श्र0सं0- 114 पटना, दिनांक 5-12-18
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/5/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/18 श्र0सं0- 114 पटना, दिनांक- 5-12-18
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.स.प्रे.सं.-490, 494 (श्रम पक्ष) क्रमशः दिनांक-26.11.18, 28.11.2018, 498 एवं 499 (श्रम पक्ष) दोनों दिनांक-29.11.18 एवं 502 दि.-03.12.18 के आलोक में/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा।

6/5/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।